न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 09/2015 (76 एल .आर. एक्ट)

उनवान

श्रीमती अंगूरी वेवा मंगल जाति काछी निवासी पिचूना सब तहसील उच्चैन जिला, भरतपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर, जिला भरतपुर।

.................................रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 13.03.2015 प्र. संख्या 74/2013 उनवानी भवानी बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री मोहन सिंह राणा राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय   दिनांक– 08.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार उच्चैन ने आराजी खसरा नंबर 1408 रकबा 2 बीघा 06 विस्वा में से रकबा 01 विस्वा, किस्म गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम पिचूना तहसील रूपवास पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 13.03.2015 को अपील में पारित निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अवगत कराया कि अपीलाण्ट अंगूरी का देहान्त हो चुका है एवं मृत्यु उपरान्त सजा का आदेश निष्प्रभावी हो चुका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के सिविल जेल का आदेश निरस्त किया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने इस बाबत् कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

5. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। चूंकि अपीलाण्ट /अतिक्रमी की मृत्यु हो चुकी है। अतः सिविल जेल सजा निष्प्रभावी घोषित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का शेष निर्णय यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official